भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3707**

जिसका उत्तर मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022/15 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कालाबाजारी

3707. डा. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री नीरज डांगी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और उर्वरकों की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण किसानों को होने वाले संकट से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और राजस्थान सहित वर्तमान फसल मौसम के दौरान किसानों की मांग के अनुरूप विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(घ) देश में उर्वरकों की मूल्य वृद्धि और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): विगत रबी 2021-22 मौसम के दौरान देश में उर्वरक उपलब्धता सहज रही। विगत रबी 2021-22 मौसम के दौरान राज्य-वार (राजस्थान सहित) आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा **अनुलग्नक-क** पर संलग्न है।

पीएण्डके उर्वरक विनियंत्रित हैं और एमआरपी उर्वरक कम्पनियों द्वारा उत्पादन/आयात की लागत के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित की जाती है। किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 1 मार्च, 2018 से यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी है (जिसमें नीम लेपन के लिए प्रभार और यथा लागू कर शामिल नहीं है)। अत: यूरिया के संबंध में कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 के तहत उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी/तस्करी रोकने के साथ अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तलाशी लेने, माल जब्त करने और दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उर्वरकों की जमाखोरी/कालाबाजारी को रोकने के लिए भी राज्य सरकारों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

****

अनुलग्नक-क

अखिल भारत रबी 2021-22 <आंकड़े एलएमटी में>		यूरिया			पीएण्डके		
क्रम.सं.	राज्य का नाम	रबी 2021-22 की आवश्यकता	01.10.2021 से 31.03.2022 तक उपलब्धता	01.10.2021 से 31.03.2022 तक डीबीटी बिक्री	रबी 2021-22 की आवश्यकता	01.10.2021 से 31.03.2022 तक उपलब्धता	01.10.2021 से 31.03.2022 तक डीबीटी बिक्री
1	आंध्र प्रदेश	9.00	11.07	8.66	13.45	12.95	10.55
2	असम	2.15	2.21	1.78	0.91	0.81	0.58
3	बिहार	12.00	13.35	11.89	7.50	8.07	7.10
4	छत्तीसगढ़	1.50	3.47	1.77	1.36	1.48	1.06
5	दिल्ली	0.12	0.18	0.15	0.03	0.04	0.03
6	गुजरात	12.50	15.57	12.39	5.95	8.25	6.98
7	हरियाणा	11.00	13.62	11.07	3.71	4.14	3.66
8	हिमाचल प्रदेश	0.39	0.55	0.40	0.33	0.26	0.22
9	जम्मू और कश्मीर	0.83	1.11	0.65	0.66	0.44	0.29
10	झारखंड	0.90	1.46	1.02	0.41	0.57	0.46
11	कर्नाटक	6.50	9.76	6.57	10.44	12.35	9.36
12	केरल	0.58	0.68	0.52	1.25	1.16	0.93
13	मध्य प्रदेश	20.00	20.80	16.83	11.65	10.81	9.79
14	महाराष्ट्र	10.00	14.13	9.34	13.50	16.62	12.47
15	ओडिशा	1.64	2.65	1.78	1.91	1.97	1.46
16	पुदुचेरी	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05
17	पंजाब	14.50	19.01	15.30	6.50	5.88	5.27
18	राजस्थान	13.00	17.66	14.76	3.70	4.80	4.22
19	तमिलनाडु	5.60	5.99	5.48	7.52	8.16	6.62
20	तेलंगाना	8.50	9.66	7.43	11.40	8.76	6.62
21	त्रिपुरा	0.12	0.19	0.11	0.06	0.07	0.03
22	उत्तराखंड	1.00	1.16	0.94	0.36	0.53	0.37
23	उत्तर प्रदेश	39.00	47.69	36.19	23.30	24.43	21.22
24	पश्चिम बंगाल	8.00	10.45	7.78	10.38	10.94	9.39
	कुल	**179.00**	**222.65**	**172.99**	**136.44**	**143.60**	**118.73**